राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 938/2024

रोहित कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. रचित जांगिड, व्याख्याता, कम्प्यूटर विज्ञान, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पॉलीटेक्निक कॉलेज, सीकर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स के पद पर राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अलवर किया गया है। उनका कथन है कि

वर्तमान में सीकर में प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स के 5 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 3 पदों पर कार्यरत है और शेष पदों पर अन्य विषयों के प्रवक्ता कार्यरत हैं। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। अधिकरण द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को गलत माना गया है और इस प्रकार आलोच्य आदेश नियम एवं विधि के विरूद्ध जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी लम्बे समय से एक ही पद पर कार्यरत था और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में ऐसे स्थानान्तरणों पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं माना है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रवक्ता इलेक्ट्रोनिक्स के पद पर राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अलवर किया गया है। जहां तक आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्ष 2009 से एक ही स्थान पर कार्यरत था और लगभग 15 वर्ष लम्बे समय अंतराल बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर किस कार्मिक की कहां पर सेवायें ली जानी हैं। जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991**

एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य